



बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
"बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय"

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय

जलवायु परिवर्तन विभाग, जलवायु परिवर्तन के राष्ट्रीय तंत्रिका - 851103 Mob: 8210505454 (Email: dfobegusarai@gmail.com & divfobegusarai-bih@gov.in)

पत्रांक- 945, बेगूसराय, दिनांक- 9/8/2023

प्रेषक

रविन्द्र कुमार एच.बि.ओ.से.0
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय।

सेवा में

उप वन संरक्षक,
कार्यालय- प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
बिहार, पटना।



विषय-

श्री राजेश कुमार द्वारा खगड़िया जिला अन्तर्गत भदास मौजा के खाता सं०- 1008, खेसरा नं०- 3586, थाना - अलौली चादर चौक संतोष ब्रिज पथ के किनारे H.P.C.L का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग- भवदीय पत्रांक- 248 दिनांक- 10.04.2023।

सहायक

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि प्रयोक्ता एजेसी के द्वारा किये गये उल्लंघन के क्रम में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा वन अधिनियम, 1927 के तहत कार्रवाई का विस्तृत अपराध प्रतिवेदन संख्या- PR No. - 01P/23-24 समर्पित किया गया है। जिसकी प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु-यथोक्त।

विश्वासभाजन

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय

BIHAR FOREST

PR No. 018/23-24.

Divisional Forest Officer-Begusarai forest division, Begusarai.

Offence Report No. 1302 Dated 31.05.2023

Name of the Offence - सुरक्षित वन पथ में मिट्टी भराई का कार्य करना ।

Date and hour of detection - 31/05/2023 को 7:10 बजे पूर्वाह्न में ।

Place of Occurrence - सुरक्षित वन पथ चातर एवं संतोषपुर पुल के बीच के पथ के किनारे।

By whom detected - विकास कुमार, वनरक्षी अलौली उप परिसर

Reference to Sections of the Forest Act and Indian Penal Code

To be filed in by the D.F.O. Begusarai Forest Division, Begusarai.

Name of Accused

Name	Father's Name	Village	Place of Residence District	Thana
1 राजेश कुमार सिंह	प्रमोद सिंह	चातर	अलौली, खगड़िया।	

Name of Witnesses

1. राज कुमार सिंह, वनपाल, खगड़िया वन प्रक्षेत्र।
2. विकास कुमार, वनरक्षी, अलौली उप परिसर।
3. धर्मनंद पासवान, पो 8 स्व 8 रामनंदन पासवान, ग्राम- परमानंदपुर, थाना- चित्रगुप्त नगर, जिला- खगड़िया।



Full Report of all the Facts in Details

To be framed not Later than the day after the occurrence

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय।

द्वारा :- उचित माध्यम।

विषय :- अपराध प्रतिवेदन सं० 1302 दिनांक 31.05.2023 से संबंधित अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सादर सूचित करना है कि श्री विकास कुमार, वनरक्षी, अलौली उप परिसर दिनांक 31.05.2023 को पूर्वाहन अधिसूचित वन पथ खगडिया से अलौली का भ्रमण एवं गश्ती का कार्य कर रहे थे। भ्रमण के दौरान चातर एवं संतोषपुर पुल के बीच में पथ के किनारे मिट्टी भराई का कार्य किया पाया। आस-पास के ग्रामीणों से पूछताछ करने पर पता चला कि यह मिट्टी भराई का कार्य राजेश कुमार सिंह पिता- प्रमोद सिंह, ग्राम- चातर, थाना- अलौली, जिला- खगडिया के द्वारा किया गया है।

वनरक्षी के अपराध प्रतिवेदन सं० 1302 दिनांक 31/05/2023 का अनुसंधान मेरे द्वारा 06/06/23 को प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में वनरक्षी के माध्यम से घटना स्थल अलौली उप परिसर के खगडिया- अलौली पथ के चातर एवं संतोषपुर पुल के बीच में पहुंचा तो देखा कि घटना स्थल में आंशिक मिट्टी भराई किया गया है। उक्त भूमि का मापी लेकर नक्शा बनाया गया। अभियुक्त के द्वारा 2500 वर्गफीट भूमि का अपयोजन किया गया है। उक्त भूमि में लगभग 10 पौधा लगाया जा सकता था। अभियुक्त को वनरक्षी के माध्यम से घटना स्थल पर बुलवाया गया। अभियुक्त के द्वारा बतलाया गया कि जानकारी के अभाव में भूलवश मिट्टी भराई का कार्य किया गया है। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा।

इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 89) की धारा 33, का उलंघन कर गैर जमानतीय एवं दण्डनीय अपराध किया गया है।

खगडिया-अलौली पथ सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है जिसका अधिसूचना सं०-97/91 189ई०/190ई० दिनांक 16.02.1994 है।

अतः अभियोजन प्रतिवेदन के मुख्य पृष्ठ पर अंकित अभियुक्त के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अपयोजित भूमि - 2500 वर्गफीट
राजस्व - 5000/-रुपये
क्षतिपूर्ति 2गुणा - 10000/-रुपये
कुल 15000/-रुपये

विश्वासभाजन,
21/06/2023
26-06-2023
वन परिसर पदाधिकारी।
खगडिया वन परिसर।

अनुलग्नक:-

1. अपराध प्रतिवेदन सं० 1302 दिनांक 31.05.2023
2. अभियुक्त का ब्यान
3. नक्शा।

जंगल विभाग, बिहार

1302

डिवीजन

नोट:- यह रिपोर्ट पकड़े जाने के २४ घंटे के अन्दर दाखिल करना चाहिये।

जुर्म नम्बर

तारीख 21/05/2023

१. घटना स्थान - चारु एवं सलोष पुल के बीच
रौड के किनारे

२. पकड़ने का समय और तारीख 03:10 AM पर दिनांक
31/05/2023

३. नाम अपराधी और उसके पिता का नाम - राजेश कुमार सिंह
पिता - प्रमोद सिंह

और पता - ग्राम - चारु, थाना - अलौली

४. जप्ती माल, अगर कोई

५. जप्ती माल का जिम्मेवार

६. नाम गवाह और उसके पिता का नाम - कमल पासवान, पिता -
रामनन्दन पासवान

वा. 30/05/2023 रिपोर्ट पता - ग्राम - परमेश्वर पुर, पोस्ट - कोशी कोलज
01-06-2023 थाना - रकडाडिया

७. तफसील और बयान जुर्म -
सेवा में

श्रीमान वन परिसर पदाधिकारी
रकडाडिया

विषय:- रकडाडिया से अलौली पथ के किनारे अवैध
मिट्टी भराई के संबंध में।

महजूर उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित
करता है कि आज दिनांक 31/05/23 को क्षेत्र प्रभारी के

में पाया गया कि चार एवं सड़क पुल के बीच (खाना
 अलौली पथ) के किनारे सड़क तरीके से मिट्टी भरई
 कार्य किया गया है साथ-साथ के जमीनी
 से पूर-तद करने पर पता चला कि यह पानी
 भरई कार्य रामेश कुमार सिंह, प्रमोद सिंह, राम-
 चार, घाना-अलौली द्वारा पेशेल पथ रोलने
 हेतु किया गया है यह पथ सुरक्षित क्षेत्र है

अतः श्रीमान को सूचित

एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

बिश्नामजी

Vikas Kumar (f.g.)
 30.05.2023
 Hault

पन पथ अप्रमाण 2500 sq. feet.
 का मिट्टी भरई

वचन

मैं राजेंद्र कुमार पिता - प्रमोद सिंह आ
पौता - चारु, धाना - अलौरी, जिला २००३
का निवासी हूँ मैं नाम से हितुस्त्रान पैदा
वस का चारसेस मिला हूँ मैं द्वारा खुल
वस रौड किनारे आँधी क रूप से मिट्टी
का कार्य किया जाया। मुझे जानकारी
वासी रहने के कारण हुआ हूँ मैं आज
उस तरह को बाविल में ऐसा कार्य
वाली करवाया भी नाम से निवेदन है कि
मुझे शमा करने का कृपा करें।

प्राप्ति द्वारा-वराण
गंगा धान

राजेंद्र कुमार सिंह
०६-०६-२०२३
११ साल
२००३

राजेंद्र कुमार
पिता - प्रमोद सिंह
आमा पौता - चारु
धाना - अलौरी
जिला - २००३
मो - ९१०२९८५०६

ଅନୁସନ୍ଧାନ

ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ

ଅନୁସନ୍ଧାନ କର

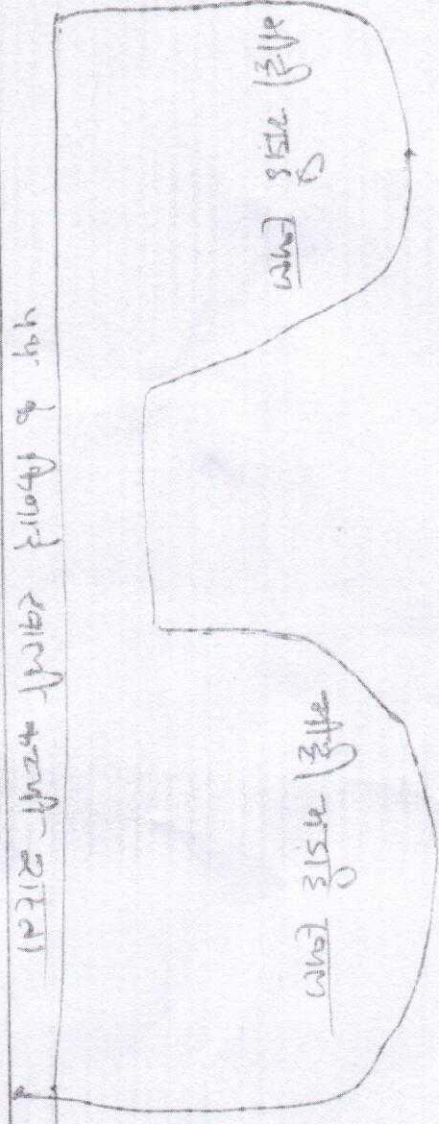
କର

ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଏବଂ ଏହାକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ସଜ୍ଜିତ କର

ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଏବଂ ଏହାକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ସଜ୍ଜିତ କର

ଅନୁସନ୍ଧାନ

ଅନୁସନ୍ଧାନ



ଅନୁସନ୍ଧାନ

शेवा में

वन प्रमंडल परीक्षकारी
बेभूदाद वन प्रमंडल बेभूदाद।

अध्यापक

वत्सल के एत लक्षित अभिनेता प्रविष्ट के अद्या ५१
बालक का लोच बिना लक्ष पाता।

अतः अतः कि अभिनेता ५१ उचित बाली शोषण से की रुपा
की पाता।

विश्वामाला

अभिनेता

14. 2. 2022

Range Officer of Forests
Bhagaria

BIHAR FOREST FR No. 518/23-24.
Divisional Forest Officer, Begusarai Forest Division, Begusarai

Offence Report No. 1302

Dated 31/05/2023

Range Office, of Forest, Khagaria Forest Range.

Memo No. 149

Dated 14-07-2023

Forwarded to the Divisional Forest Officer, Begusarai Forest Division, Begusarai with a copy of the seizure Report on application for issue of process.

215331
16.7.23
Range Officer of Forest.
Khagaria Forest Range

Memo No ----- Dated -----

Forwarded to the Chief Judicial Magistrate, Khagaria with an application for issue of process and following documents.



बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
“बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय”

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय
ग्राम तान, कमरगाँव, मंडौल, लखन जिला कार्यालय के समीप, बेगूसराय - 851101, Mob :- 8210505454 (Email : dfobegusarai@gmail.com & divfobegusarai-bih@gov.in)

पत्रांक— 354, बेगूसराय, दिनांक— 11/3/2023

प्रेषक,

रविन्द्र कुमार रवि, बि० व० से०
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
कार्यालय— प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग,
बिहार, पटना।



विषय:—

श्री राजेश कुमार द्वारा खगडिया जिलान्तर्गत भदास मौजा के खाता सं०— 1008, खेसरा सं०— 3586, धाना — अलौली में चातर चौक संतोष ब्रिक पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षक) अधिनियम, 1980 के तहत 0.024 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग:—

आपका पत्रांक— 962 दिनांक— 08.11.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार के पत्रांक— FP/BR/Others/117859/2020(Pt.)/637 दिनांक— 21.10.2022 द्वारा की गयी पृच्छाओं का निराकरण प्रतिवेदन कंडिकावार निम्नवत है—

1. प्रस्तावित अपयोजन स्थल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक— 24.02.2023 को किया गया जिसके क्रम में आगम एवं निगम पथ के आंशिक भाग में मिट्टी भड़ाई पाया गया है। जिससे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन का मामला बनता है।
2. वेटलैण्ड संबंधित मामला नहीं है।

अतएव उक्त निराकरण के आलोक अधोहस्ताक्षरी द्वारा जाँच में ली गयी फोटो की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय

27

